

भारतीय राजव्यवस्था (INDIAN POLITICAL SYSTEM) - संक्षिप्त नोट्स

यह नोट्स बी.ए. द्वितीय वर्ष (सेमेस्टर IV) के पाठ्यक्रम के प्रमुख विषयों को कवर करते हैं।

1. भारतीय संविधान का संवैधानिक ढाँचा

भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

विशेषता	विवरण
लिखित एवं विस्तृत	मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ।
कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण	संशोधन प्रक्रिया न अधिक कठोर (अमेरिका की तरह) न अधिक लचीली (ब्रिटेन की तरह)।
एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघवाद	संघीय होते हुए भी आपातकाल, एकल नागरिकता और अखिल भारतीय सेवाओं के कारण केंद्र मजबूत।
संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय	संसदीय शासन (ब्रिटेन से) और न्यायिक पुनरावलोकन (अमेरिका से) का संतुलन।
धर्मनिरपेक्ष राज्य	राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं; सभी धर्मों के प्रति समान आदर।
सार्वभौम वयस्क मताधिकार	18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक को मत देने का अधिकार।

2. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights - FRs) एवं नीति निर्देशक तत्व (DPSP)

(A) मौलिक अधिकार (भाग III, अनुच्छेद 12-35)

- उद्देश्य: राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना।
- प्रकृति: ये न्यायोचित (Justiciable) हैं, अर्थात् उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं।

अधिकार	अनुच्छेद	मुख्य प्रावधान
समानता का अधिकार	14-18	कानून के समक्ष समानता; भेदभाव का निषेध; अस्पृश्यता का अंत।
स्वतंत्रता का अधिकार	19-22	6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ (वाक् एवं अभिव्यक्ति सहित); जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)।
शोषण के विरुद्ध अधिकार	23-24	मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध; बाल श्रम का निषेध।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार	25-28	अंतःकरण की स्वतंत्रता; धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार	29-30	अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार	32	मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार (डॉ. अंबेडकर द्वारा 'संविधान की आत्मा')।

(B) राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) (भाग IV, अनुच्छेद 36-51)

- उद्देश्य: भारत में एक कल्याणकारी राज्य और सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना।
- प्रकृति: ये गैर-न्यायोचित (Non-Justiciable) हैं; ये राज्य के लिए 'आदर्श' हैं, कानून बनाते समय इनका ध्यान रखना अनिवार्य है।

उदाहरण: ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39), पर्यावरण का संरक्षण (अनुच्छेद 48-A)।

3. संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका

(A) प्रधानमंत्री (Prime Minister - PM)

पद: वास्तविक कार्यकारी प्रमुख (Real Executive Authority)। नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को।

भूमिका/शक्ति	विवरण
मंत्रिपरिषद का नेता	मंत्रियों का चयन, विभागों का आवंटन और फेरबदल; बैठकों की अध्यक्षता।
राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी	दोनों के बीच सूचना का मुख्य आदान-प्रदानकर्ता (अनुच्छेद 78)।
संसद का नेता	लोकसभा का नेता; सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा।
नीति निर्धारक	राष्ट्रीय नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष।
आधारशिला	प्रधानमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु पर पूरा मंत्रिमंडल स्वतः भंग हो जाता है।

(B) संसद (Parliament)

संगठन (अनुच्छेद 79): राष्ट्रपति + लोक सभा (निम्न सदन) + राज्य सभा (उच्च सदन)।

सदन	लोक सभा (House of the People)	राज्य सभा (Council of States)
सदस्य	सीधे जनता द्वारा निर्वाचित (अधिकतम 550)।	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व; अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित (अधिकतम 250, 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित)।
कार्यकाल	5 वर्ष (समय से पहले भंग हो सकती है)।	स्थायी सदन (कभी भंग नहीं होता); सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष।
विशेष शक्ति	धन विधेयक केवल यहीं प्रस्तुत हो सकता है; मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके प्रति उत्तरदायी है।	अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है (अनुच्छेद 312)।

संसदीय विशेषाधिकार: संसद के सदस्यों को सदन के भीतर कही गई बातों या मतदान के संबंध में कानूनी कार्यवाही से छूट प्राप्त होती है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।

4. भारतीय संघवाद की प्रकृति और राजनीतिक गतिकी

(A) भारतीय संघवाद (Indian Federalism)

- प्रकृति: 'अर्ध-संघीय' (Quasi-Federal) या 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism)।
- के.सी. व्हेयर का कथन: भारत का संविधान स्वरूप में संघीय है, किंतु भावना में एकात्मक।

- सहकारी संघवाद: केंद्र और राज्य एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हुए राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं (जैसे GST परिषद और नीति आयोग)।

(B) क्षेत्रवाद (Regionalism)

- अर्थ: किसी विशेष क्षेत्र के लोगों द्वारा अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखना।
- सकारात्मक पहलू (वरदान): क्षेत्रीय संस्कृति का संरक्षण; संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए दबाव बनाना।
- नकारात्मक पहलू (अभिशाप): अलगाववाद (पृथक राज्य की माँग); राष्ट्रीय एकता को खतरा; अंतर्राज्यीय जल विवाद आदि।

5. पंचायती राज व्यवस्था (Local Self-Government)

संवैधानिक आधार: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992। उद्देश्य: लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करना।

त्रि-स्तरीय संरचना:

1. ग्राम पंचायत: ग्राम स्तर पर (प्रत्यक्ष चुनाव)।
2. पंचायत समिति/ब्लॉक समिति: मध्यवर्ती (ब्लॉक) स्तर पर।
3. जिला परिषद/जिला पंचायत: जिला स्तर पर।

अनिवार्य प्रावधान:

- सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण।
- निश्चित 5 वर्ष का कार्यकाल।
- राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग का गठन।